भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1316

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(4) में समय-सीमा

1316. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(4) में पाँच दिनों की समय-सीमा का आशय पाँच कार्यदिवस है या लगातार पाँच दिन है;
(ख) क्या सप्ताह के सभी पाँच दिनों में तथा बैंकों का अवकाश होने पर कंपनियों को समय-सीमा में कोई छूट या समय-सीमा में विस्तार दिया जाता है; और
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है/विचार कर रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(4) निम्नानुसार पठित है:

“अंतरिम लाभांश सहित लाभांश की राशि, इस तरह के लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अलग खाते में एक अनुसूचित बैंक में जमा की जाएगी।”

प्रावधान "पांच कार्य दिवसों के बजाय" "पांच दिनों" को संदर्भित करता है।

(ii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की सा.का.नि. 463 (अ), एक सरकारी कंपनी जिसमें संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केंद्र सरकार द्वारा और एक या अधिक राज्य सरकारों या एक या अधिक सरकारी कंपनी के पास होते हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (4) के लागू होने से छूट दी गई है।

(iii) वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कोई और छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****